न्यायालय जिला कलक्टर, झुंझुनूं

पीठासीन अधिकारीः—डॉ0 अरूण गर्ग
आई.ए.एस.

प्रथम अपील संख्याः— 27/2026

श्री बृजलाल पुत्र स्व0 श्री हरिनारायण, ग्राम पोस्ट जाखोडा वाया मण्ड्रेला, तहसील चिडावा, जिला झुंझुनूं, पिन कोड 333025, मो0नं0 9462423017

बनाम

लोक सूचना अधिकारी (अति0 जिला कलक्टर) झुंझुनूं।

सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत प्रस्तुत प्रथम अपील

आदेश

दिनांक 25.02.2026

1. पत्रावली आज पेश हुई। प्रार्थी (अपीलार्थी) द्वारा यह प्रथम अपील प्रार्थना पत्र सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत दिनांक 27.01.2026 को इस न्यायालय में प्राप्त होने पर प्रथम अपील मिसल नम्बर 27/2026 पर दिनांक 27.01.2026 को दर्ज की गई। अपीलार्थी द्वारा उक्त अपील लोक सूचना अधिकारी (अति0 जिला कलक्टर) झुंझुनूं के विरूद्व पेश की गई है।
2. अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत सूचना प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र लोक सूचना अधिकारी (अति0 जिला कलक्टर) झुंझुनूं को प्रस्तुत कर आवेदन पत्र में वर्णित सूचना चाही गई।
3. लोक सूचना अधिकारी (अति0 जिला कलक्टर) झुंझुनूं से इस कार्यालय के पत्रांक पाठक/2025/271—272 दिनांक 27.01.2026 द्वारा तथ्यात्मक टिप्पणी चाही गयी थी।
4. लोक सूचना अधिकारी (अति0 जिला कलक्टर) झुंझुनूं ने पत्रांक एफ 16(4)(5)न्याय/सू0अ0/2025/123 दिनांक 28.01.2026 द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलार्थी श्री बृजलाल पुत्र स्व0 श्री हरिनारायण, ग्राम पोस्ट जाखोडा वाया मण्ड्रेला, तहसील चिडावा, जिला झुंझुनूं, पिन कोड 333025 का आवेदन पत्र इस कार्यालय मे प्राप्त हुआ है। अपीलार्थी द्वारा चाही गई उक्त सूचना के संबंध मे इस कार्यालय के पत्र क्रमांक एफ 16(4)(5)न्याय/सू0अ0/2026/356 दिनांक 21.11.2025 के द्वारा विकास अधिकारी, पंचायत समिति, पिलानी को नियमानुसार प्रार्थी को सूचना उपलब्ध करवाये जाने हेतु पत्र लिखा गया है। उक्त क्रम मे विकास अधिकारी, पंचायत समिति, पिलानी ने अपने पत्र क्रमांक 6521—24 दिनांक 29.12.2025 के द्वारा इस कार्यालय को अवगत करवाया गया कि पत्र क्रमांक 6327—30 दिनांक 11.12.2025 द्वारा ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत बजावा को अपीलार्थी को सूचना उपलब्ध करवाने हेतु लिखा गया जिसके क्रम मे ग्राम विकास अधिकारी ने अपने पत्र क्रमांक 135—26 दिनांक 19.12.2025 द्वारा सूचना का संकलन विश्लेषण अथवा व्याख्या करना सूचना का अधिकर अधिनियम 2005 की धारा 2(एफ) के अर्न्तगत सूचना की परिभाषा मे सम्मिलित नही है। साथ ही मांगी गई सूचना हेतु व्यापक स्तर पर अभिलेखो का संकलन अपेक्षित है जो कि धारा 7(9) के प्रावधानों के अनुरूप नही है। अतः अपीलार्थी का प्रथम अपील का प्रार्थना पत्र खारीज किये जाने की कृपा करे।
5. अपीलार्थी सुनवाई हेतु उपस्थित नही।
6. लोक सूचना अधिकारी (अति0 जिला कलक्टर) झुंझुनूं ने पत्रांक एफ 16(4)(5)न्याय/सू0अ0/2025/123 दिनांक 28.01.2026 द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलार्थी श्री बृजलाल पुत्र स्व0 श्री हरिनारायण, ग्राम पोस्ट जाखोडा वाया मण्ड्रेला, तहसील चिडावा, जिला झुंझुनूं, पिन कोड 333025 का आवेदन पत्र उनके कार्यालय मे प्राप्त हुआ है। अपीलार्थी द्वारा चाही गई उक्त सूचना के संबंध मे उनके कार्यालय के पत्र क्रमांक एफ 16(4)(5)न्याय/सू0अ0/2026/356 दिनांक 21.11.2025 के द्वारा विकास अधिकारी, पंचायत समिति, पिलानी को नियमानुसार प्रार्थी को सूचना उपलब्ध करवाये जाने हेतु पत्र लिखा गया है। उक्त क्रम मे विकास अधिकारी, पंचायत समिति, पिलानी ने अपने पत्र क्रमांक 6521—24 दिनांक 29.12.2025 के द्वारा इस कार्यालय को अवगत करवाया गया कि पत्र क्रमांक 6327—30 दिनांक 11.12.2025 द्वारा ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत बजावा

जिला कलक्टर झुंझुनूं

को अपीलार्थी को सूचना उपलब्ध करवाने हेतु लिखा गया जिसके कम मे ग्राम विकास अधिकारी ने अपने पत्र कमांक 135–26 दिनांक 19.12.2025 द्वारा सूचना का संकलन विश्लेषण अथवा व्याख्या करना सूचना का अधिकर अधिनियम 2005 की धारा 2(एफ) के अर्न्तगत सूचना की परिभाषा मे सम्मिलित नही है। साथ ही मांगी गई सूचना हेतु व्यापक स्तर पर अभिलेखो का संकलन अपेक्षित है जो कि धारा 7(9) के प्रावधानों के अनुरूप नही है। चूंकि अपीलार्थी का प्रार्थना पत्र संबंधित को नियमानुसार अन्तरित किया गया है। साथ ही अपीलार्थी को सूचना नियमानुसार देय नही होने बाबत सूचित किया जा चुका है। अतः अपीलार्थी का अपील प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य नही होने से खारीज किया जाता है।

7. अपीलार्थी को यह भी सूचित किया जाता है कि आप इसकी द्वितीय अपील माननीय राज्य सूचना आयोग जयपुर के यहां निर्धारित समयावधि में कर सकते है।

आदेश आज दिनांक 25.02.2026 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ0 अरूण गर्ग)
जिला कलक्टर, झुंझुनूं